

इसे वेबसाईट www.govtprintmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजापत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 192]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 2 मई 2022—वैशाख 12, शक 1944

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 2 मई, 2022 (वैशाख 12, 1944)

क्र. 7832-म.प्र.वि.स.-15-विधान-2022.—मध्यप्रदेश विधान सभा नेता प्रतिपक्ष (वेतन तथा भत्ता) अधिनियम, 1980 (क्रमांक 8 सन् 1980) की धारा 13 के अधीन निम्नलिखित अधिसूचना एतद्वारा प्रकाशित की जाती हैः—

अधिसूचना

मध्यप्रदेश विधान सभा में मुख्य प्रतिपक्षी दल, इंडियन नेशनल कांग्रेस विधायक दल द्वारा नये नेता का निर्वाचन किये जाने के फलस्वरूप श्री कमलनाथ, सदस्य, दिनांक 29 अप्रैल, 2022 से मध्यप्रदेश विधान सभा में प्रतिपक्ष के नेता नहीं रहे।

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा।